

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:- RNB/ACTP/2017-18/579,

दिनांक : 23-02-2018,

कार्यालय-आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 235वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 के विचार बिन्दु संख्या 235.22 पर राज्य सरकार में प्रभावी एकीकृत भवन विनियम-2017 राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।


अतः राज्य सरकार में प्रभावी एकीकृत भवन विनियम-2017 राजस्थान आवासन मण्डल में तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।


आवासन आयुक्त

राजस्थान आवासन मण्डल

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/ मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय (जोधपुर), तृतीय, सी.एम.-ए.बी.एस.एल.सी. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-जयपुर-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वृत्त-जोधपुर-प्रथम द्वितीय/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अलवर, गुणवत्ता नियंत्रण, राजस्थान आवासन मण्डल।
8. मास्टर फाईल।


23/2/18

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक